



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 29/2020
GST Circular No. 14/2020
Video-Conference
Most Immediate

No. 2018/AC-II/1/14

16th March, 2020

Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways and Production Units

Sub:- Video-Conference on GSTR-2A Reconciliation.

It is proposed to hold a video-conference with all the Zonal Railways (including all Divisions) and Production Units on 19th March, 2020 (Thursday) from 10.30 am to 12.30 pm. It is proposed to review the progress of correction of Invoices by Zonal Railways/Production Units. The problems faced by the Zonal Railways/Production Units may be sent to undersigned in a summarized form (Bullet points) through email at v.prakash@nic.in. All the Zonal Railway Officials may kindly establish video-links with Railway Board and be in readiness to participate in the conference through video.

Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to :-

1. EDRS/G, EDTT(S), EDME(Dev.), ED/Infra-Civil, EDCE/G, EDTC/R (Members of ED level Empowered Committee on GST, Railway Board);
2. Dir/C&IS, ED/ERP, Director (Dev./Electrical), JS/G-II, Director/IH, DRS/IC, Director/Signal-II, DTC/G, DTK-M, DME/P-II, DIG/MAC (Director level GST Cell, Railway Board)
3. GM/F-GSTM and GM/AIMS, CRIS, Chanakyapuri.
4. GST Consultants, Railway Board.

May kindly attend the video-conference in Committee Room, Second Floor, Railway Board

Joint Director/Accounts
Railway Board

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (railway board)

आरबीए सं. 29/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 14/2020

वीडियो कॉन्फ्रेंस

अति तत्काल

सं. 2018/एसी-II/1/14

16 मार्च, 2020

मुख्य वित्त सलाहकार,
सभी ज़ोनल रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय :- जीएसटीआर-2ए समाधान पर वीडियो कॉन्फ्रेंस ।

सभी ज़ोनल रेलों (जिसमें सभी मंडल शामिल हैं) और उत्पादन इकाइयों के साथ दिनांक 19 मार्च, 2020 (बृहस्पतिवार) को प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किए जाने का प्रस्ताव है। ज़ोनल रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा बीजकों में सुधार की प्रगति की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है। ज़ोनल रेलें/उत्पादन इकाइयों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को संक्षिप्त रूप (बुलेट प्वाइंट) में ईमेल v.prakash@nic.in के माध्यम से अधोहस्ताक्षरों को भेजा जाए। ज़ोनल रेलों के सभी अधिकारी रेलवे बोर्ड के साथ वीडियो-लिंक स्थापित करें और कॉन्फ्रेंस में वीडियो के माध्यम से भाग लेने हेतु तैयार रहें।

ह.

संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :-

1. ईडीआरएस/जी, ईडीटीटी(एस), ईडीएमई(डेव), ईडी/इन्फ्रा-सिविल, ईडीसीई/जी, ईडीटीसी/आर (जीएसटी पर ईडी स्तर की सशक्त समिति के सदस्य, रेलवे बोर्ड);
2. निदेशक/सी एंड आईएस, ईडी/ईआरपी, निदेशक (डेव/इलेक्ट्रिकल), संयुक्त सचिव /जी-II, निदेशक/आईएच, निदेशक रेल भंडार/आईसी, निदेशक/सिगनल-II, डीटीसी/जी, डीटीके-एम, डीएमई/पी-II, डीआईजी/एमएसी (निदेशक स्तर का जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड)
3. महाप्रबंधक/एफ-जीएसटीएम और महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस, चाणक्यपुरी
4. जीएसटी परामर्शदाता, रेलवे बोर्ड

कृपया सभी कमेटी रूम, द्वितीय तल, रेलवे बोर्ड में वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लें।

ह.

संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड